वार्षिक रिपोर्ट

2012-2013

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल,
भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: एचटीटीपी:\\एनसीआरपीबी.एनआईसी.ईन

विषय-सूची

क्र.स.	विवरण	पेज सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1-2
III	कार्य	2
IV	शक्तियां	3
V	राष्ट्रीय राजधाी क्षेत्र का क्षेत्र	3-4
VI	समसुविधासम्पन्न (काउंटर मैगेट) क्षेत्र	5
VII	योजाना समिति	6
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021	7-9
IX	सिंहावलोकन का वर्ष 2012-13	9
	क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	**9**
	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	9-10
	ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उप क्षेत्रीय योजनाएं बनाना	10
	iii) मास्टर प्लान स्थिति	11
	iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी	12
	(क) रेल नेटवर्क	12
	1. मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार	12
	2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल परियोजनाएं	12
	(ख) रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली	**13-14**
	(ग) सड़क नेटवर्क	14
	1. दिल्ली के नजदीक पेरीफेरल एक्सप्रेसवे	14
	2. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे	15
	3. राष्ट्रीय राजमार्ग	15
	v) अध्ययन	15
	(क) द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (आरआरटीएस) के लिए गलियारों का व्यवहार्यता अध्ययन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	**15**
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लघु और घरेलू कुटीर उद्यमों पर अध्ययन	16
	(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शैक्षणिक आधार ढांचा पर अध्ययन	16
	(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक संरचना संबंधी अध्ययन	16
	(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधार ढांचा	16
	vi) घटक राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठके	16-17
	vii) पारस्परिक आम परिवहन करार समझौते/द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर	17
	ख. बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	**17-19**
	(i) वर्ष के दौरान स्वीकृत बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाएं (2012-13)	20-21
	(ii) बोर्ड के दौरान का संवितरण ऋण	21
	(क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संगठक राज्यों एवं उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों का 23 प्रक्रियाधीन एवं नई परियोजनाओं के लिए रूपये 418.51 करोड़ का ऋण प्रदान करना	21-23
	(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान क्षेत्रवार जारी ऋण	23
	(ग) वित्तीय संसाधन	24-25
	(घ) क्षमता निर्माण विकास संबंधी पहल प्रयास	26
	(ङ) प्रशासन और सतर्कता	26
	i) प्रशासन	26
	ii) सतर्कता	26-27
	iii) सूचना का अधिकार	27
	iv) लेखों का परीक्षण	27
	v) ई-प्राप्ति	27
	5. संगठनात्मक ढांचा	28-29
	अनुलग्नक-I राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना 2021 की प्रमुख विशेषताएं	30-31
	अनुलग्नक-II राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगर तथा शहरों की सूची	32-35
	अनुलग्नक-III राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता से चल रही बुनियादी सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं की सूची	36-43
	वार्षिक लेखा वर्ष 2012-13	1-25

I. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था :-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र में बेतरतीब विकास से बचा जा सके।

II. बोर्ड का गठन और सदस्यता :

शहरी विकास मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडीvi, दिनांकित 26.09.2012 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का वर्तमान संगठन इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	सदस्य
3.	केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
4.	केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
5.	केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
6.	केन्द्रीय सडक परिवहन मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
7.	केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
8.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
9.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
10.	मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश	सदस्य
11.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य
12.	मुख्यमंत्री, दिल्ली	सदस्य
13.	शहरी और ग्रामीण योजना मंत्री, हरियाणा	सदस्य
14.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान	सदस्य
15.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16.	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
17.	मुख्य सचिव, हरियाणा	सदस्य
18.	मुख्य सचिव, राजस्थान	सदस्य
19.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
20.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य
21.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

बोर्ड के निम्नलिखित सहयोगित तथा अतिरिक्त सहयोजित सदस्य है :

सहयोजित सदस्य

1. मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार
3. सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
4. सचिव, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
6. सचिव, विद्युत विभाग, भारत सरकार
7. सचिव, आवास विभाग, पंजाब सरकार
8. प्रधान सलाहकार(आ.श.वि.), योजना आयोग
9. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
10. प्रधान सचिव, पर्यावरण और आवास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

अतिरिक्त सहयोजित सदस्य

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डीविजा) के राजपत्रित अधिसूचा संख्या के-11019/3/2012-डीडीvi, दिनांकित 26.9.2012 के द्वारा 2 नए अतिरिक्त सहयोजित सदस्यों को शामिल किया गया है:

1. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
2. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं -

क. क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना।
ख. प्रत्येक सहभागी राज्य और संघ शासित प्रदेश द्वारा उप क्षेत्रीय योजनाएं और परियोजना योजनाएं तैयार कराने की व्यवस्था करना।
ग. सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के जरिए क्षेत्रीय योजना, कार्यातमक योजनाओं, उप क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजना या योजनाओं को लागू करने और कार्यान्वयन का समन्वय करना।
घ. क्षेत्रीय योजना में उल्लिखित क्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उप क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विकास की चरणबद्धता के संबंध में सहयोगी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा उपयुक्त तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना व सुनिश्चित करना।
ङ. केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों के साथ-साथ अन्य राजस्व स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना।

IV शक्तियॉं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियां निम्नलिखित हैं -

क. कार्यात्मक योजनाओं तथा उप क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार, लागू और कार्यान्वित करने के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ क्षेत्र से रिपोर्टें और सूचना मांगना ;

ख. यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मक योजना अथवा उप क्षेत्रीय योजनाएं, जो भी हों, क्षेत्रीय योजना के अनुरुप, तैयार, लागू और कार्यान्वित की जाएं ;

ग. क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के सोपानों का उल्लेख करना ;

घ. क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप क्षेत्रीय योजना और परियोजना योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना ;

ङ. व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, प्राथमिकता प्राप्त विकास के लिए कहना और उन परियोजनाओ, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे, के कार्यान्वयन के लिए सहायता मुहैया कराना;

च. संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे शहरी क्षेत्र का चयन उसकी अवस्थिति, जनसंख्या तथा विकास की संभावना को ध्यान में रखकर करना जिसे क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता हो ; और

छ. समिति को ऐसे अन्य कार्य सौपना जिसे बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

V राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा

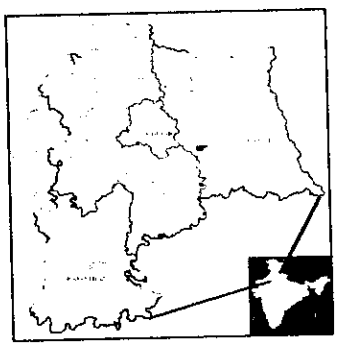

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को केन्द्र में रखकर अंतर्राज्यीय क्षेत्र विकास योजना का एक बेजोड उदाहरण है । यथाअधिसूचित अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चार राज्य सरकारों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग 34,144 वर्ग किमी0 का क्षेत्र शामिल है । यह देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.60 % है । उपक्षेत्र वार ब्यौरे निम्नलिखित अनसार है :-

उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुडगॉव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाडी, झज्झर, पानीपत और पलवल ।	13,428
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंद शहर हापुड़ और बागपत ।	10,853
राजस्थान	अलवर	8,380
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483
	कुल	34,144

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र जैसे अरावली की पहाडियां, वन, जीव-जंतु और पक्षी अभ्यारण्य, गंगा, यमुना और हिंडन नदी और उर्वरक कृषि भूमि है । यह गतिशील ग्रामीण-शहरी क्षेत्र है जिसके 108 कस्बों में 371 लाख लोग बसते हैं । इन 108 कस्बों में से 17 श्रेणी । शहर 9 श्रेणी ।। शहर और 7500 से अधिक ग्रामीण बसावटें (जनगणना 2001) है । जनगणना 2011 (अनंतिम) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कुल आबादी 460 लाख है और 2001 जनगणना के अनुसार पूर्व में 17 की तुलना में अब यहाँ 20 श्रेणी-। शहर/कस्बे हैं ।

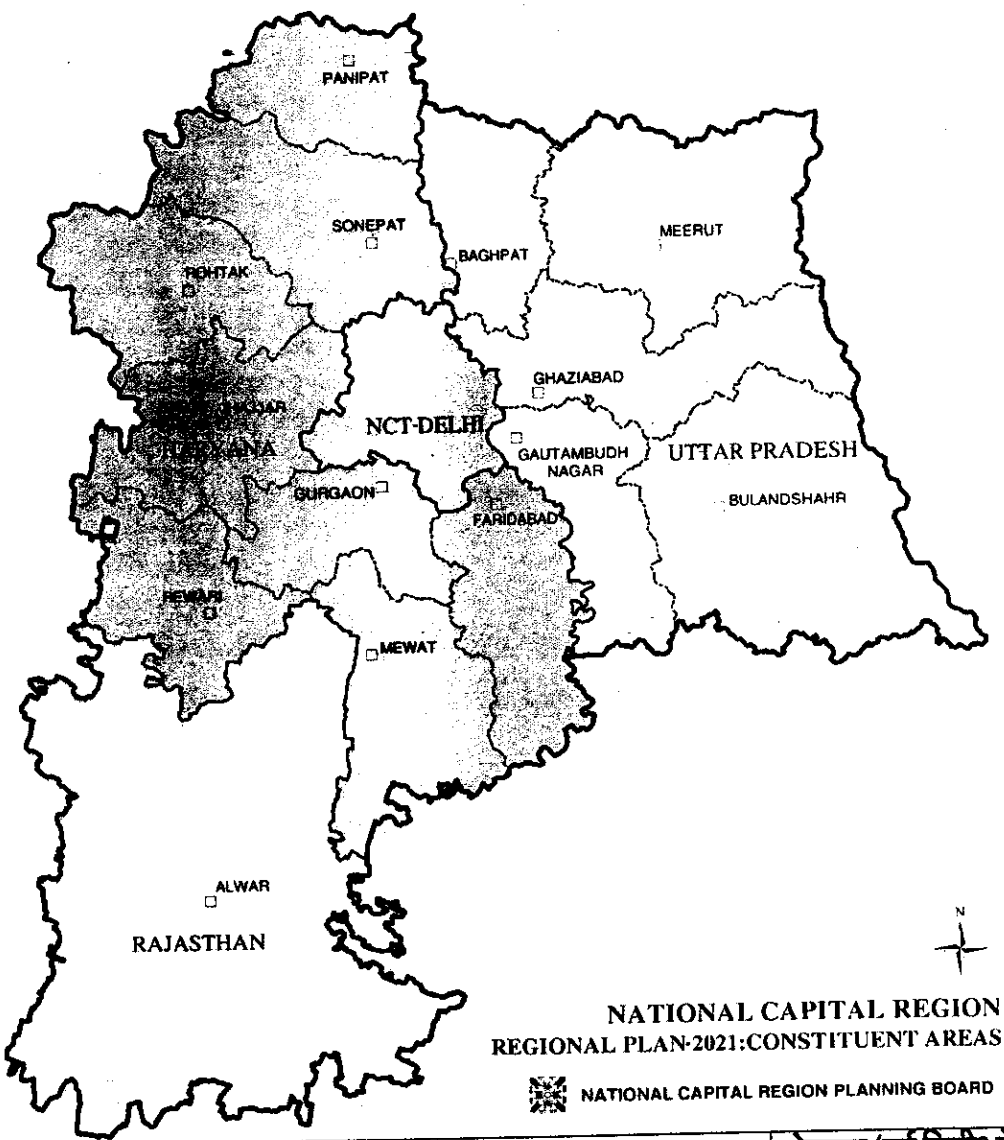

क्रम सं.	संघटक	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -दिल्ली उप क्षेत्र	1,483
2	हरियाणा उप क्षेत्र .	13,428
3	राजस्थान उप क्षेत्र	8,380
4	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	10,853
	कुल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	34,144

स्रोत : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना - 2021 ।

VI समसुविधासम्पन्न (काउंटर मैग्नेट) क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 (च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र उसकी स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर मैग्नेट क्षेत्र के रुप में विकसित करने के लिए चुने ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

क्षेत्रीय योजना 2001 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने निम्नलिखित 5 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान की हैः

- हरियाणा में हिसार
- उत्तर प्रदेश में बरेली
- राजस्थान में कोटा
- पंजाब में पटियाला
- मध्य प्रदेश में ग्वालियर

काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की दो विशिष्ट परस्पर पूरक भूमिकाएं इस प्रकार हैं :-

- "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतरोंधक बनना; और
- क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रुप में जिससे इन केन्द्रों की स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा।"

क्षेत्रीय योजना - 2021 में भी काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास की नीति को जारी रखा गया है। "दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों" संबंधी अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 22.03.2012 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 32वीं बैठक में रा.रा.क्षे. के लिए निम्नलिखित शहरों/कस्बों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों के रुप में अनुमोदिन किया गया :

(i) हरियाणा में अंबाला
(ii) उत्तर प्रदेश में बरेली
(iii) उत्तराखंड में देहरादून
(iv) हरियाणा में हिसार
(v) उत्तर प्रदेश में कानपुर
(vi) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
(vii) राजस्थान में कोटा
(viii) पंजाब में पटियाला

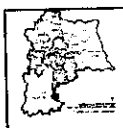

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1)और(2) के तहत एक योजना समिति के गठन का उल्लेख है। बोर्ड की सदस्य सचिव इसकी पदेन अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैः

1.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (आवास एवं शहरी विकास)	सदस्य
3.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, रा.रा.क्षे.-दिल्ली	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9.	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ग) सहयोगित सदस्य

- वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम
- मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(घ) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 9 में यथाउल्लिखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

(1) इन कार्यों के लिए समिति बोर्ड को सहायता प्रदान करेगीः

क. क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में समन्वय करना ।

ख. उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरुप हैं ।

(2) बोर्ड को जैसा यह समिति जरुरी समझे किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में संशोधन अथवा आशोधन करने की सिफारिश करना; और

(3) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जो इसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं ।

VIII राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया।

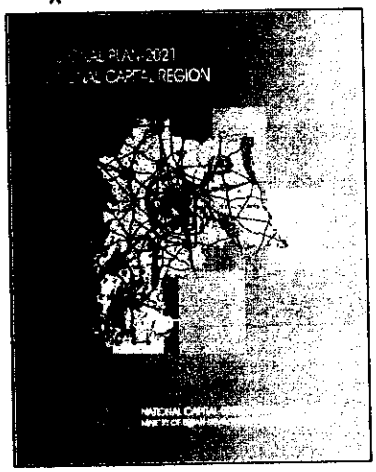

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021में बसावट पद्धतियों, आर्थिक कार्यकलापों, परिवहन, दूर संचार, प्रादेशिक भू-उपयोग, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन से जुडे परस्पर संबंधित नीतिगत ढॉचे के जरिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के वास्ते शहरी और ग्रामीण बसावटों के स्वनिर्भर विकास के साथ-साथ अच्छी कृषि भूमि तथा पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के बचाव और संरक्षण तथा शहरी इलाकों में अनुपजाऊ भूमि के उपयोग हेतु औचित्यपूर्ण प्रादेशिक भू- उपयोग के लिए एक मॉडल का उल्लेख है।

इस योजना में संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास एक वैश्विक उत्कृष्ट क्षेत्र के रुप में करने की परिकल्पना की गई है । इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढावा देना है तथा (क)दिल्ली की आर्थिक विकास की गति को खपाने में सक्षम प्रादेशिक बसावटों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने ;(ख) पहचान की गई इन बसावटों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु भू-उपयोग पैटर्नों के समानुरुप कारगर और सस्ता रेल तथा सडक आधारित नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणाली सहित) को उपलब्ध कराने; (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने ; (घ) चुनिंदा बसावटों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ड.) औचित्यपूर्ण उपयोग ढॉचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के स्वनिर्भर विकास को बढावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की संकल्पना है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 तक 486.19 लाख तथा वर्ष 2021 तक 641.38 लाख हो जाने का अनुमान है । लेकिन क्षेत्रीय योजना 2021 में वर्ष 2011 के लिए उप क्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के अनुसार वास्तविक आबादी निम्नलिखित अनुसार है :-

(लाख में)

क्रमसं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना - 2021 में वर्ष 2011 के लिए अनुमानित आबादी	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली उप क्षेत्र	179.90	167.53
2	हरियाणा उप क्षेत्र	117.55	110.38
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	150.83	145.84
4	राजस्थान उप क्षेत्र	37.91	36.72
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	486.19	460.47

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021की मुख्य विशेषताएं **अनुलग्नक-1** पर है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है उनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैः-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक आर्थिक विकास समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर भू-उपयोग निर्धारित करना ।
- प्रमुख कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास सशक्त वृद्धि केन्द्रों के रुप में करने का प्रस्ताव ।
- क्षेत्रीय परिवहन लिंकेज और व्यापक यात्री प्रणाली उपलब्ध कराना ।
- दिल्ली के चारों ओर पेरीफेरल एक्सप्रेस वे और आरबिटल रेल गलियारे का निर्माण ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास ।
- रा.रा.प्रक्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्योगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्र योजना - 2021 में मेट्रो केन्द्रों , क्षेत्रीय केन्द्रों, उप क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और बुनियादी गांवों को शामिल करते हुए एक छः स्तरीय बसावट पद्धति का प्रस्ताव है । क्षेत्रीय योजना 2021 में निम्नलिखित अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक)तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3-10 लाख) का निम्नलिखित प्रस्ताव है :-

I	**मेट्रो केन्द**
1	फरीदाबाद-वल्लभगढ
2	गुडगॉव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ
II	**क्षेत्रीय केन्द**
1	बहादुरगढ
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारुहेरा-बावल
6	हापुड-पिलखुआ
7	बुलंदशहर -खुर्जा
8	बागपत-बडौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाडी
11	शाहजहॉपुर-नीमराणा-बेहरोड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021 में एनसीआर के तीव्र शहरीकरण से कम होते जा रहे भूमि, जल, जंगल और वनस्पति तथा वन्य जीवों जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर भी काफी चिंता व्यक्त की गई है । इस क्षेत्र में शहरीकरण और विकास को देखते हुए भूमि को, बेतरतीब अनियोजित विकास, अप्राधिकृत निर्माण और अतिक्रमण का खतरा है । अच्छी कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोगों में बदलने से बचाने के लिए ग्रामीण -शहरी सतत विकास पर जोर देते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना- 2021 में निर्धारित नीतियों का अनुपालन करते हुए शहरी बसावटों के साथ-साथ ग्रामीण बसावटों के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न मास्टर योजनाएं जल्दी तैयार करने की तत्काल जरुरत है । इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए यह भी अपेक्षित है कि घटक राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और उनके संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा आश्रय, पानी, सीवरेज, सीवेज परिशोधन, जल-निकासी, बिजली, परिवहन, आदि जैसी अनिवार्य सेवाओं/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रस्तावों/कार्यनीतियों/परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए । इसके अलावा, पानी और बिजली की उपलब्धता को बेहतर बनाने तथा बढाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा नए दृष्टिकोण और नवप्रवर्तन तकनीक अपनाने की जरुरत है । भू जल पुनःभरण और जल संग्रहण को भवन उप नियमों में शामिल करने के साथ-साथ जल पुनःभराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए घटक राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नगर योजना अधिनियमों में संशोधन करने की जरुरत है । **क्षेत्रीय योजना-2021 ने तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन एवं जैव विविधता पर चिंता जताई है तथा इसका मुख्य कारण रा.रा.क्षे. का तीव्र शहरीकरण बताया है** । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 की विभिन्न नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन घटक राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने विभिन्न विभागों /एजेंसियों के जरिए समयबद्ध तरीके से करना होगा।

IX सिंहावलोकन का वर्ष 2012-13

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021 का कार्यान्वयन

एक समन्वय निकाय के रुप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से नीतियों के कारगर कार्यान्वयन के लिए पहल-प्रयास/कार्रवाई भी की है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 की नीतियों तथा प्रस्तावों को सहभागी राज्य सरकारों/शहरी तथा ग्रामीण एजेंसियों के साथ-साथ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए की गई कार्रवाई/पहल-प्रयास निम्नानुसार है :-

i राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा कार्य प्रारंभ कर दिया है । समीक्षा कार्य के निरीक्षण हेतु अप्रोच पेपर तथा सदस्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया । इसके अतिरिक्त समीक्षा कार्य के लिए पांच अध्ययन समूहों का भी गठन किया गया । वर्ष 2012-13 के दौरान, संचालन समिति की बैठकें तथ अध्ययन समूहों की 14 बैठकें हो चुकी हैं ।

इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड ने राष्ट्रीय सूदूर संवेदन संस्थान (एनआरएसए), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद के साथ दिनांक 12.06.2012 को रूपये 74.13 लाख की लागत के एक अध्ययन 'एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा हेतु भू उपयोग का सृजन एवं

अद्यतन हेतु एक एम ओ यू हस्ताक्षरित किया है । एनआरएसए ने Resourcesat-2 LISSIVMX आंकड़ों का प्रयोग वर्ष 2011-12 के कर के वर्तमान भू उपयोग के आंकड़ों का अद्यतन किया है जो 1:50,000 स्केल पर है । इस अध्ययन के लिए प्रयोग किए आंकड़ों की क्षेत्रीय योजना 2021 की समीक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा । जल, परिवहन तथा पर्यावरण के तीन अध्यायों की समीक्षा की जा चुकी है तथा इन अध्यायों पर हितवद्ध पक्षों (स्टेकहोल्डरों) के सुझावों/विचारों को प्राप्त करने के लिए इन पर विस्तृत चर्चा कार्यशालाओं में की जा चुकी है जो क्रमशः 21/11/2012, 26/11/2012 तथा 7/2/2013 को आयोजित की गई थी ।

अन्य अध्यायों की समीक्षा का कार्य भी पूर्ण किया गया तथा इस पर स्टेकहोल्डरों के साथ विचार विमर्श मई-जून, 2013 में किया जाना तय हुआ था ।

ii राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के अंतर्गत उप क्षेत्रीय योजनाएं बनाना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अंतर्गत " प्रत्येक सहभागी राज्य अपने राज्य में उप क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ शासित प्रदेश अपने संघ शासित क्षेत्र में उप क्षेत्र हेतु उप-क्षेत्रीय योजना बनाएगा ।"

बोर्ड की 24.05.2006 को आयोजित 29वीं बैठक में,घटक राज्यों के प्रतिनिधियों से अपने से संबंधित उप क्षेत्रों के लिए उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया ।

हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने -अपने संबंधित उप क्षेत्रों के लिए उप क्षेत्रीय योजना बनाने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में योजना का अधिदेश डीडीए को दिया गया है । अतः वह दिल्ली मास्टर योजना -2021 में इन मदों को भी शामिल करने का अनुरोध करेगी ताकि दिल्ली के लिए उप क्षेत्रीय योजना हेतु यह अर्हता बन सके । बोर्ड की योजना समिति की 59वी बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि परिशिष्ट से संबंधित मसलो की जांच दिल्ली मास्टर योजना -2021 की चल रही समीक्षा के भाग के रुप मे की जा सकती है । बोर्ड ने 22मार्च, 2012 को आयोजित अपनी 32वी बैठक में स्थिति की समीक्षा के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली मास्टर योजना -2021 का परिशिष्ट यथाशीघ्र तैयार करने का निदेश दिया है । तथापि, मास्टर प्लान-2021 की समीक्षा के लिए मैनेजमेंट एक्शन ग्रुप ने दिनांक 10/9/2012 को मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.-दिल्ली सरकार की अध्यक्षता मे संपन्न अपनी बैठक में निर्णय लिया कि रा.रा.क्षे.-दिल्ली सरकार द्वारा ही दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना का निर्माण किया जाएगा । अन्य उप क्षेत्रीय योजनाओं की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है :-

(दिनांक 31.3.2013 के अनुसार स्थिति)

उप क्षेत्रीय योजना	स्थिति
हरियाणा उप क्षेत्रीय योजना	सलाहकार ने अंतिम रिपोर्ट का मसौदा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है । बोर्ड सचिवालय ने उसी जांच की है और उसे शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार को उसकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए भेजा है । तदनुसार हरियाणा सरकार द्वारा योजना के प्रारुप को संशोधित किया जा रहा है ।
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र की संशोधित समीक्षित उपक्षेत्रीय योजना-2021 कई प्रारूप दिनांक 29.3.2013 को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त किया जा चुका है ।
राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना	राजस्थान उपक्षेत्र की मसौदा उपक्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

iii मास्टर प्लान स्थिति

रा.रा.क्षे. के, जनगणना 2001 के अनुसार 108 शहरी बसावटें हैं । उनका श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	जनगणना 2001 के अनुसार शहरोंकी/संख्या
1.	श्रेणी- I	17
2.	श्रेणी -II	9
3.	श्रेणी -III	27
4.	श्रेणी -IV	38
5.	श्रेणी - V	15
6.	श्रेणी -VI	2

हरियाणा उप क्षेत्र में 35, राजस्थान उप क्षेत्र में 9 और उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र में 63 शहरी बसावटें हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीटी- दिल्ली से बाहर, हरियाणा उप क्षेत्र में 8 श्रेणी-I शहरी केन्द्र, राजस्थान उप क्षेत्र में एक श्रेणी-I शहरी केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र में 7 श्रेणी-I शहरी केन्द्र है । जनगणना 2011(अनंतिम) के अनुसार श्रेणी-I शहरों की संख्या बढकर 20 हो गई है । इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैः-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी बस्तियां

शहरी बस्तियां/उप क्षेत्र	श्रेणी-I	श्रेणी-I
	100,000+	100,000+
	जनगणना 2001 के अनुसार	जनगणना 2011 के अनुसार(अनंतिम)
हरियाणा	8	8
राजस्थान	1	2
उत्तर प्रदेश	7	9
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -दिल्ली	1	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	17	20

घटक राज्य अपने से संबंधित उप क्षेत्रों में विभिन्न शहरी बसावटों के लिए अब मास्टर /विकास योजनाएं बना रहे हैं । वैसे वर्ष 2012-13 के दौरान, बोर्ड को घटक राज्यों से 10 शहरों की मास्टर/विकास योजनाओं के प्रारूप प्राप्त हुए हैं ।

क्र.सं.	स्थिति	शहरों/नगरों की संख्या
1.	निर्मित एवं अधिसूचित मास्टर/विकास योजना	42
2.	निर्माणधीन मास्टर/विकास योजना	32

iv राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी

(क) रेल नेटवर्क

1. मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार

सीएनसीआर यथा हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में नोएडा एवं गाज़ियाबाद (वैशाली) में दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए मामला दिल्ली मेट्रो के साथ उठाया गया । दिल्ली-नोएडा, दिल्ली-गुड़गांव तथा दिल्ली-गाज़ियाबाद (वैशाली) की मेट्रो लाइन शुरू की जा चुकी है । सरकार द्वारा फरीदाबाद एवं बहादुरगढ़ तक की मेट्रो लाइन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है । फरीदाबाद तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर कार्य प्रक्रियाधीन है ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल परियोजनाएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मामला रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया । रेल मंत्रालय ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरवरी, 2012 को विभिन्न रेल परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	प्रस्ताव	स्थिति
क	**कार्य प्रगति पर**	
1	रेवाडी झज्झर रोहतक नई लाइन	पूर्ण
2	सोनीपत-गोहाना-जिंद नई लाइन	कार्य प्रगति पर
3	होलंबी कला और बिजवासन में मेगा टर्मिनल	कार्य प्रगति पर
4	आनंद विहार टर्मिनल	कार्य प्रगति पर
5	नई दिल्ली स्टेशन का उन्नयन	पूर्ण
6	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज 5वीं और 6ठीं लाइन	कार्य प्रगति पर
7	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	कार्य प्रगति पर
8	साहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन	पूर्ण
ख	**स्वीकृत योजनाएं**	
9	पश्चिमी डीएफसी : रेवाडी क्रासिंग (फ्लाइज ओवर) से शुरु, असौटी के पास पीकेडी-पीडब्ल्यूएल सेक्शन तथा दादरी के पास गाजियाबाद-हावडा मार्ग पर मिलती है ।	कार्य प्रगति पर
10	पूर्वी डीएफसी : खुर्जा-हापुड मेरठ शहर मुजफ्फरनगर लाइन से ।	कार्य प्रगति पर
11	दिल्ली कैंट से बरार स्क्वैर (बाइपास)के बीच रेल लिंक	कार्य प्रगति पर
12	शकूरबस्ती-रोहतक रेलवे विद्युतीकरण	पूर्ण, रेल सुरक्षा आयुक्त की सुरक्षा अनापत्ति की प्रतीक्षा
13	फरीदाबाद में फ्रेट टर्मिनल	कार्य प्रगति पर
14	दिल्ली सब्जीमंडी-दिल्ली मेन लाइन	कार्य प्रगति पर
15	दयाबस्ती ग्रेड सेपरेटर	कार्य प्रगति पर
16	तिलक ब्रिज, सब्जीमंडी, सराय रोहिल्ला, शकूरबस्ती, गाजियाबाद और टीकेडी में अतिरिक्त रेल सुविधा का विकास,	कार्य प्रगति पर
17	गाजियाबाद स्थित माल उठाई-धराई सुविधा को बेहतर बनाना ।	प्रगति पर

(ख) रा.रा.क्षे के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली

एकीकृत परिवहन योजना के अध्ययन के पश्चात् रा.रा.क्षे. के यात्रियों के लिए तेज तथा कार्यकुशल सामूहिक परिवहन की संस्तुति दी गई, जिसमें निम्नलिखित आर.आर.टी.एस. कॉरीडोर का प्रस्ताव रखा गया:

प्राथमिकता का क्रम	कॉरीडोर	लम्बाई (कि.मी)
1	दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ	90*
2	दिल्ली-गुड़गाव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	110*
4	दिल्ली-फरीदाबाद-बल्बगढ़-पलवल	60.0
5	गाज़ियाबाद-खुर्जा	83.0
6	दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक	70.0
7	गाज़ियाबाद-हापुड़	57.0
8	दिल्ली-शहादरा-बड़ौत	56.0

*साध्यता (फिजीबिलीटी) रिपोर्ट के आधार पर संशोधित

आर.आर.टी.एस. के लिए प्लानिंग कमिशन द्वारा गठित कार्य समिति ने सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में निम्नलिखित कॉरीडोर के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी है।

क्रम संख्या	कॉरीडोर	लम्बाई (कि.मी.)
1	दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ	90*
2	दिल्ली-गुड़गाव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	110*

*साध्यता (फिजीबिलीटी) रिपोर्ट के आधार पर संशोधित

तीनों कॉरीडोर की सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एन सी आर परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित है। एन सी आर परिवहन निगम (NCRTC) के गठन हेतु रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड, सहभागी राज्यों तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक एम ओ यू (MOU) भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है। एन सी आर परिवहन निगम की प्रारम्भिक इक्विटि रू 100 करोड़ होगी। रेल मंत्रालय ने भी इक्विटी प्रतिभागिता के लिए सहमति प्रदान कर दी है। निम्नलिखित स्टेकहोल्डरो का इक्विटी शेयर इस प्रकार है:

केन्द्र सरकार	इक्विटी शेयर
शहरी विकास मंत्रालय	22.5%
रेल मंत्रालय	22.5%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5%

राज्य सरकार	इक्विटी शेयर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	12.5%
हरियाणा सरकार	12.5%
उ.प्र. सरकार	12.5%
राजस्थान सरकार	12.5%

हितवद्ध पक्षों (स्टेकहोल्डरों) की टिप्पणियों के पश्चात् एन सी आर परिवहन निगम के गठन के लिए व्यय वित्त समिति मेमो मंत्रालय द्वारा सुझावों के लिए सभी को भेज दिया गया है। योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त की जा चुकी हैं ।

(ग) सडक नेटवर्क

1. दिल्ली के नजदीक पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

पॉच राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग -1, राजमार्ग -2, राजमार्ग -8, राजमार्ग -10 और राजमार्ग -24 एनसीटी दिल्ली में रिंग रोड में मिलते है जिससे न केवल रिंग रोड पर बल्कि दिल्ली के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में मुख्य सडकों पर भी भारी भीड-भाड हो जाती है । ये राष्ट्रीय राजमार्ग जब दिल्ली सडक नेटवर्क का हिस्सा होते है तो शहरी सडके बन जाते है। अधिकांश भीड-भाड उन वाहनों की वजह से होती है जिन्हें दिल्ली तो नहीं आना होता पर अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से जुडे न होने के कारण उन्हें दिल्ली से गुजरना पडता है ।

उपर्युक्त सभी पॉचों राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए दिल्ली के बाहर बाइपास/लिंकेज मुहैया कराने के उददेश्य से, क्षेत्रीय योजना 2021 में एक पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव किया गया था । इस बाइपास का पश्चिमी आधा हिस्सा उत्तर में कुंडली में एनएच -1, दक्षिण में पलवल में एनएच-2 होते हुए दिल्ली की पश्चिमी परिधि के बाहर एनएच10 और एनएच 8 से जुडेगा । इसे पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे (कुंडली-मानेसर-पलवल-एक्सप्रेसवे)नाम दिया गया है । इस बाइपास का पूर्वी आधा हिस्सा उत्तर में कुंडली में एनएच-1 , दक्षिण में पलवल में एनएच-2 होते हुए दिल्ली की पूर्वी परिधि के बाहर एनएच-24 से जुडेगा । इसे पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है ।

पेरीफेरल एक्सप्रेस वे	स्थिति
पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे	पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का कार्य 23 वर्ष और 9 माह की रियायत अवधि (निर्माण अवधि के तीन वर्ष सहित) के लिए 31.03.2006 को हरियाणा सरकार द्वारा सुविधा प्रदाता को दिया गया है । इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 135.65 किमी0 है । इसे हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है । इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि दिसंबर, 2013 तक बढ़ा दी गई है ।
पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे	पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है । भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है । पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का कार्यान्वयन एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है ।

2. दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे

क्षेत्रीय योजना-2021 में यथाप्रस्तावित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया था । उक्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना VI के रूप में इसके कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई शुरु कर दी है ।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग-1,2,8,10,24,58,71,71-ए, 71-बी, एनएच-235 व 91 के भाग राज्य राजमार्गों और सडकों के अलावा, सडक नेटवर्क का भी भाग हैं । क्षेत्रीय योजना, 2021 में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव है। बोर्ड के अनुरोध पर इन राजमार्गो का ट्रैफिक आवश्यकतानुसार 6 लेनों या अधिक के लिए और उन्नत करने हेतु सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरु कर दी गई है । जैसा कि क्षेत्रीय योजना 2021 में रा.रा.क्षे. के लिए प्रावधान किया गया है ।

V अध्ययन

(क)द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (आरआरटीएस) के लिए गलियारों का व्यवहार्यता अध्ययन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - 2032 के लिए एकीकृत योजना " संबंधी अध्ययन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल आधारित तीव्र परिवहन प्रणाली की सिफारिश की गई । तदनुसार, तीन गलियारों के लिए आरआरटीएस गलियारों का व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के काम शुरु किए गए है । इन तीन गलियारों जैसे दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-भिवाड़ी-अलवर व दिल्ली-सोनीपत-पानीपत का व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है ।

इन प्राथमिकता प्राप्त तीन गलियारों के प्रमुख ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्रम सं.	गलियारा	लम्बाई (किमी0)	स्टेशनों की संख्या	यात्रियों की संख्या (लाख में)	गति (किमी0 /घंटा)	यात्रा समय (मिनट में)	ट्रांजिट उन्मुखी विकास (टीओडी)	कीमतों में बढोतरी और आईटीसी समेत अनुमानित लागत करोड रु0 में(सितंबर, 2011)
1	दिल्ली-पानीपत	111.2	12	2016-3.8 2021-5.7 2031-7.8 2041-9.8	160	74	तीन स्थानों पर प्रस्तावित	18755
2	दिल्ली-अलवर	180	19	2016-7.0 2021-9.1 2031-12.5 2041-15.1	160	117	नौ स्थानों पर प्रस्तावित	32141
3	दिल्ली - मेरठ	90.2	17	2016-5.7 2021-7.4 2031-9.2 2041-11.4	160	62	चार स्थानों पर प्रस्तावित	21274
	कुल	381.4	48					72170

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लघु और घरेलू कुटीर उद्यमों पर अध्ययन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों पर अध्ययन कार्य जारी है और परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों/विभागों से फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के न केवल बडे शहरों बल्कि छोटे नगरों और अन्य बसावटों में भी क्लस्टरों के संवर्धन, सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए अपेक्षित अवसंरचना आदि के प्रावधान के जरिए जीविका के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। उक्त रिपोर्ट के आंकड़ों एवं विशलेषण का उपयोग क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शैक्षणिक आधार ढ़ांचा पर अध्ययन

बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध आधार ढ़ांचा सुविधाओं के मूल्यांकन, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का पता लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शैक्षणिक अवसंरचना के विकास हेतु कार्यनीतियों के निर्धारण को चिह्नित करने तथा कार्य योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शैक्षणिक अवसंरचना पर एक अध्ययन प्रारंभ किया है। परामर्शदाता ने अंतरिम रिपोर्ट-।। प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट के आंकड़ों एवं विशलेषण का उपयोग क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक संरचना संबंधी अध्ययन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक रुपरेखा का अध्ययन कार्य विकास रुखों का सही -सही आंकडा-आधार तैयार करने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को समझने, संभावित परियोजनाओं को चिह्नित करने और क्षेत्रीय योजना- 2021 की समीक्षा हेतु जानकारी मुहैया कराने के उददेश्य से परामर्श के जरिए किया गया था। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। उक्त रिपोर्ट के आंकड़ों एवं विशलेषण का उपयोग क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

(ड.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधार ढ़ांचा

बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं का अनुमान लगाने, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का पता लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की कार्यनीतियां तथा कार्य योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं पर एक अध्ययन शुरु किया है। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। उक्त रिपोर्ट के आंकड़ों एवं विशलेषण का उपयोग क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

vi घटक राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठकें।

क्षेत्रीय योजना-2021 की निगरानी एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बोर्ड ने सभी संगठक राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालक समिति के गठन का मुद्दा उठाया। सभी संगठक राज्यों ने अपने उपक्षेत्रों में क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों एवं प्रस्तावों के कार्यान्वयन के समन्वयन एवं निगरानी के लिए संचालक समितियों का गठन किया है। क्षेत्रीय योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों के एनसीआर सेल संचालन समिति को तकनीकी सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

वर्ष 2012-13 के दौरान हुई संचालन समिति की बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

उप क्षेत्र	संचालन समिति की आयोजित बैठकें
उत्तर प्रदेश	एक (22.03.2013)
हरियाणा	एक (18.12.2012)
दिल्ली	एक (06.08.2012)
राजस्थान	किसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ ।

vii पारस्परिक आम परिवहन करार समझौते/द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर

बोर्ड ने एन सी आर में आम जनता के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने संगठक राज्यों से 'कान्ट्रेक्ट कैरिज' तथा 'स्टेज एवं गुड्स कैरिज' हेतु पारस्परिक आम परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर का मुद्दा उठाया । 'कान्ट्रैक्ट कैरिज' संबंधित यह समझौता दिनांक 14.10.2008 को हस्ताक्षरित किया गया तथा सभी संगठक राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया । इस समझौते से एन सी आर में चलने वाली सभी टैक्सियों तथा आटो रिक्शा का किसी अतिरिक्त पसेन्जर टैक्स के बिना आवागमन मुमकिन होगा । इस समझौते के परिणामस्वरूप 12000 से अधिक एनसीआर टैक्सियां तथा 7500 एनसीआर बसें निर्बाध रूप से एनसीआर में आवागमन कर रही हैं ।

'स्टेज कैरिज' से संबंधित पारस्परिक आम परिवहन समझौते पर 22.4.2010 को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें राज्यों के मार्गों और फेरों का निर्णय लिया गया है और ये बसें एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कम्यूटर बसों के रूप में कार्य करेंगी । इसे रा.रा.क्षे. के सभी संगठक राज्यों ने अधिसूचित किया है तथा इसके परिणामस्वरूप एनसीआर में निर्बाध रूप से कम्यूटर बसों का आवागमन जारी है ।

ख. बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (ड.)के तहत उक्त बोर्ड व्यापक स्कीमों का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है । बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है । बोर्ड घटक राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण के रुप में उपलब्ध कराता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अपने अंशदान के रुप में वहन करती हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने 18994 करोड रु0 की अनुमानित लागत वाली 277 बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को 8704 करोड रु0 ऋण के रुप में स्वीकृत किया । बोर्ड ने मार्च 2013 तक 6464 करोड रु0 की ऋण राशि जारी की है । पूर्ण तथा जारी परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे तालिका -1 में दिए गए है :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे (31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजना-ओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-कोटा समेत]	निर्माणाधीन	4	354	259	226
		पूर्ण	27	1332	377	369
	उप योग		31	1686	**636**	**595**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	निर्माणाधीन	4	381	240	140
		पूर्ण	48	1770	700	559
	उप योग		52	2151	**939**	**699**
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	निर्माणाधीन	76	9238	3728	2434
		पूर्ण	106	4683	2581	2248
	उप योग		182	13921	**6310**	**4682**
4	एनसीटी-दिल्ली	निर्माणाधीन	2	398	299	0
		पूर्ण	2	521	310	310
	उप योग		4	919	**609**	**310**
5	पंजाब में सीएमए-पटियाला	निर्माणाधीन	1	60	45	45
		पूर्ण	1	19	1	1
	उप योग		2	79	**46**	**46**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए - ग्वालियर	निर्माणाधीन	2	104	63	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उप योग		6	238	**165**	**133**
	कुल	**निर्माणाधीन**	**89**	**10536**	**4634**	**2876**
		पूर्ण	**188**	**8458**	**4070**	**3588**
	कुल जोड		277	**18994**	**8704**	**6464**

बोर्ड द्वारा वित्त पोषित 277 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 188 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 89 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं (अनुलग्नक - III) । अनुमानित परियोजना लागत और स्वीकृत ऋण की दृष्टि से स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार क्रमशः चित्र-1और 2 में ग्राफ के रुप में दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का उप क्षेत्रवार सार (31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

Figure 1

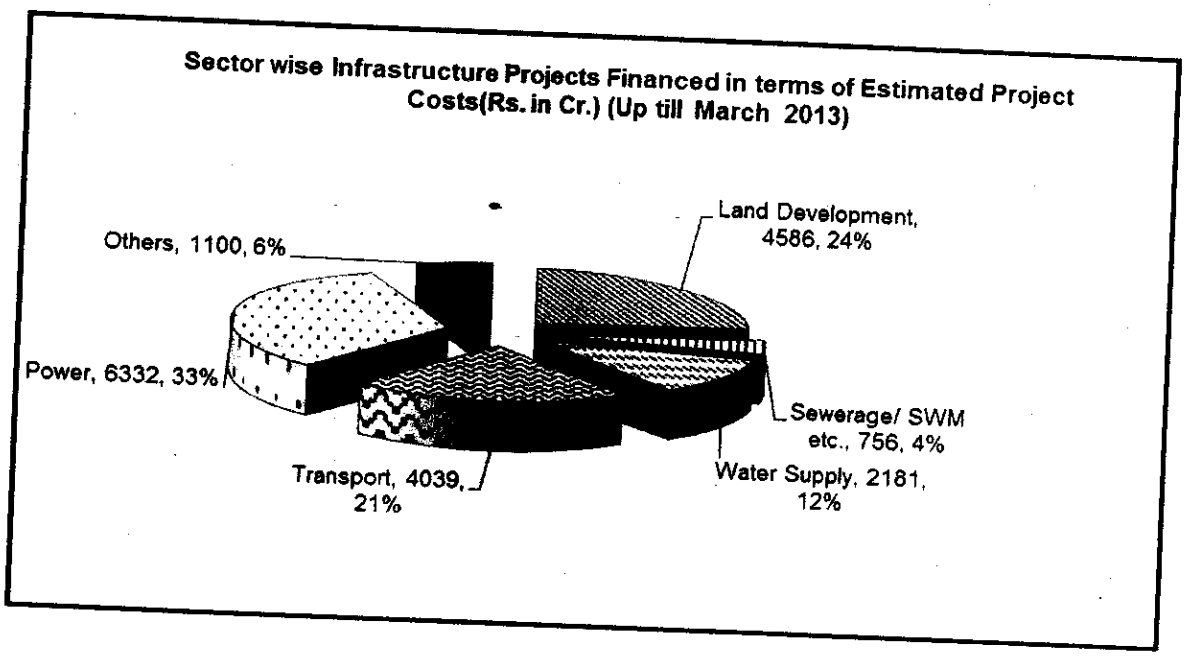

Figure 2

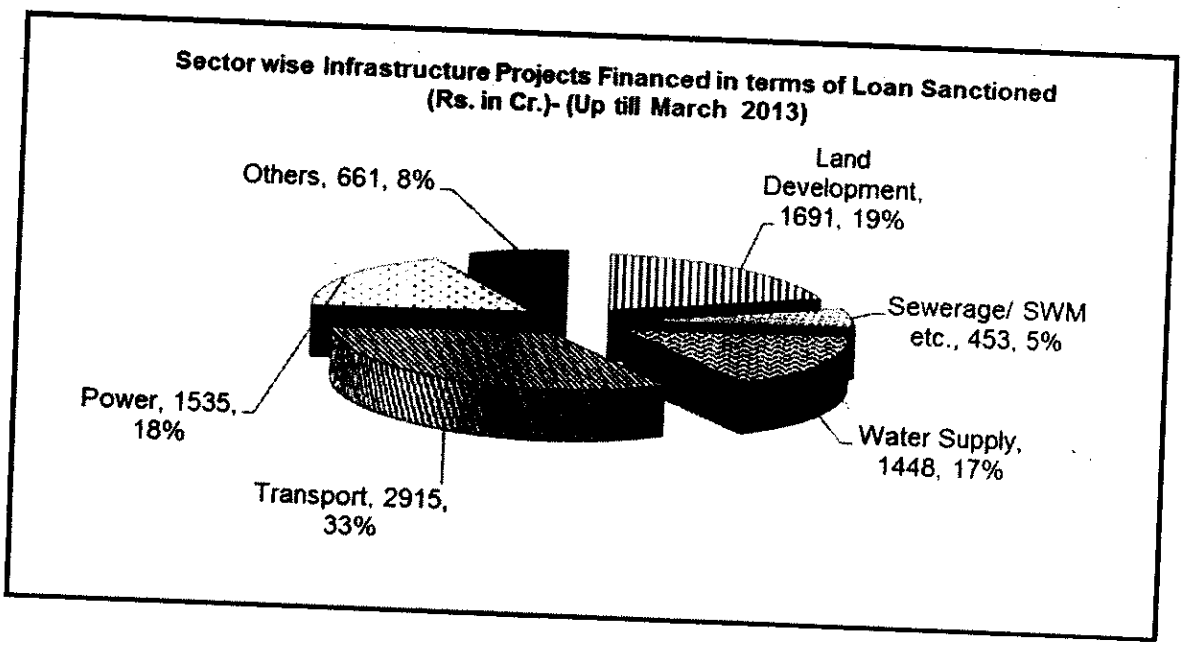

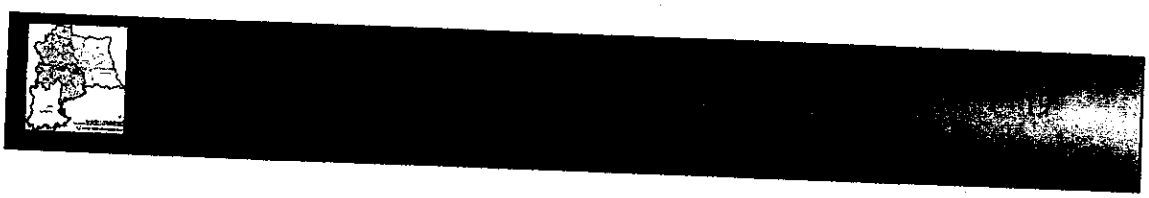

(i) वर्ष के दौरान स्वीकृत बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाएं (2012-13):

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बोर्ड की परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह-1 की 2 बैठकें यानी 48वीं और 49वीं बैठक क्रमशः 31.5.2012 और 11.12.2012 को आयोजित की गई । 13 बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के लिए 683.87 करोड रु0 का ऋण निम्नलिखित अनुसार अनुमोदित किया गया ।

(करोड रु0 में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमानित लागत	कुल संस्वीकृत ऋण
परिवहन				
1.	पानीपत जिले में एलसी (L/C) संख्या 52-C पर पानीपत जताल रोड पर दिल्ली अम्बाला रेल लाइन पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	31.85	13.26
2	दिल्ली पलवल मथुरा रेल लाइन एलसी (L/C) संख्या 553 पर होडल हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	24.10	13.76
3.	दिल्ली अम्बाला रेल लाइन एलसी (L/C) संख्या 29 पर सोनीपत पुरखा रोड, चीनी मिल के पास 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	40.37	16.42
4.	हरियाणा के झज्झर जिले में, बेरी पर बाईपास का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	48.82	36.62
5.	हरियाणा के झज्झर जिले में, छाडा में बाईपास का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	47.16	35.37
6	हरियाणा के झज्झर जिले में, सुबाना में बाईपास का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	25.18	18.89
7.	हरियाण, कोसली में बाईपास का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	27.68	20.76
8.	गोहाना-लखनमाजरा-भिवानी रोड का सुधार कार्य रोहतक जिले की सीमा सड़क तक 00 से 37.700 किमी तक	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	99.77	74.83
9.	उ.प्र. सीमा पर सोनीपत-गोहाना रोड़ का सुधार कार्य सोनीपत जिले की सीमा सड़क तक -11.6 से 74 किमी तक	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	176.26	132.20
10.	गुड़गाँव-चाँदू-बादली-बहादुरगढ़ रोड का सुधार कार्य	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	244.10	183.08

11.	हरियाणा के झज्झर जिले में बहादुरगढ़-झझर रोड का सुधार कार्य	पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), हरियाणा	156.52	117.39
12.	हरियाणा, सोनीपत शहर में वर्षा जल निकासी ड्रेन का निर्माण	पीएचईडी, हरियाणा	21.72	16.29
13.	सौर उर्जा बस शेल्टर,सौर उर्जा लालटेन रिचार्जिंग स्टेशन के साथ अलवर जिले में	यूआईटी अलवर	7.22	5.00
	कुल		**950.75**	**683.87**

(ii) वर्ष के दौरान का संवितरण ऋण

(क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, संगठक राज्यों एवं उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों का 23 प्रक्रियाधीन एवं नई परियोजनाओं के लिए रूपये 418.51 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(लाख रु0 में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना की किस्म	जारी ऋण
1	कोसली, भाकली एवं रेलवे स्टेशन एरिया, कोसली जिला रेवाड़ी में जलापूर्ति संवर्धन	372.44	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ति	55.87
2	हरियाणा के जिला सोनीपत के शहर गोहाना में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	4245.20	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ति	626.86
3	समलखा, हरियाणा के लिए सीवरेज सिस्टम तथा एसटीपी प्रदान करना	810.11	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	243.00
3(क)	समलखा, हरियाणा के लिए सीवरेज सिस्टम तथा एसटीपी प्रदान करना	810.11	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	203.33
4	मेहम शहर, जिला रोहतक के लिए सीवरेज स्कीम एवं शोधन संयंत्र प्रदान करना	965.00	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	177.00
5	पटौदी एवं हेली मंडी शहर (फेस-1), जिला गुड़गांव के लिए सीवरेज स्कीम एवं शोधन संयंत्र प्रदान करना	1449.96	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	326.24
6	नुह शहर, जिला मेवात के लिए सीवरेज स्कीम तथा शोधन संयंत्र प्रदान करना	1027.38	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	269.69

(लाख रु0 में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना की किस्म	जारी ऋण
7	हरियाणा के गुड़गांव-फ़ार्रूखनगर-झझर रोड का 5+500 कि.मी. से 46+250 कि.मी. (रा.रा.-15ए) का सुधार कार्य	8799.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	323.72
8	हरियाणा उपक्षेत्र में नाला 8 से बहुजमालपुर तक (79.200 कि.मी. से 86.300 कि.मी.) रोहतक हिसार रोड का सुधार कार्य (चार लेन का बनाना)	3195.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	599.00
9	हरियाणा उपक्षेत्र में रोहतक भिवानी रोड (चार लेन) का सुधार कार्य	8174.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	3065.00
9 (क)	हरियाणा उपक्षेत्र में रोहतक भिवानी रोड (चार लेन) का सुधार कार्य	8174.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	1193.00
10	पलवल हाथिन रोड से उतावर सिकरावा से भदास रोड तक का सुधार कार्य	6002.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	2624.00
11	हरियाणा उपक्षेत्र झझर जिले में अन्य जिला सड़कों का सुधार कार्य	16998.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	5000.00
12	हरियाणा उपक्षेत्र के झझर जिले में बादली बाईपास 0-5.68 नए निर्माण कार्य के साथ-साथ वर्तमान 2 कि.मी. रोड (5.68 कि.मी.) का सुधार कार्य	6292.48	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	2000.00
13	जिला गुड़गांव, हरियाणा में 5 सड़कों पर सुधार कार्य	9036.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	833.00
14	गुड़गांव-नुह-अलवर रोड (एस एच-13) पर सर्विस लेन एवं नालों का प्रावधान	3624.19	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	1319.00
15	हरियाणा के झझर जिले में बहादुरगढ़ झझर रोड का चौड़ीकरण व सुधार कार्य	15652.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	7044.00

(लाख रु0 में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना की किस्म	जारी ऋण
16	दिल्ली पलवल मथुरा रेल लाइन एलसी (L/C) संख्या 553 पर होडल हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	2410.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	आरओबी	688.00
17	पानीपत जिले में एलसी (L/C) संख्या 52-सी पर पानीपन जताल रोड पर दिल्ली अम्बाला रेल लाइन पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	3185.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	आरओबी	663.00
18	दिल्ली अम्बाला रेल लाइन L/C संख्या 29 पर सोनीपत पुरखा रोड, चीनी मिल के पास 2 लेन आरओबी का निर्माण	4037.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	आरओबी	821.00
19	गुड़गांव जिला, हरियाणा उपक्षेत्र में अन्य जिला सड़कों का सुधार	3157.00	पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर), हरियाणा सरकार	सड़क	1352.00
20	जिला मेवात, हरियाणा में मेडिकल कालेज के साथ शिक्षण अस्पताल का निर्माण	31891.00	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार	सामाजिक अवसंरचना	4146.00
21	राजस्थान के एनसीआर एरिया में ईएचवी ट्रांसमिशन स्कीम	12597.53	आरआरवीपीएन लिमिटेड	विद्युत	1405.00
22	कोटा, राजस्थान में जलापूर्ति संवर्धन	15166.00	यूआईटी, कोटा	जलापूर्ति	4770.00
23	साडा ग्वालियर में आवासीय स्कीम का अवसंरचना विकास	7607.00	मध्य प्रदेश सरकार/एसएडीए	आवासीय	2103.00
					41850.71

ख. वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रवार जारी ऋण निम्नलिखित है :

(करोड रु0 में)

विद्युत	14.05
आवास	21.03
सडकें एवं आर ओ बी	275.25
सीवरेज	12.19
सामाजिक बुनियादी सुविधाएं	41.46
जलापूर्ति	54.53
कुल	418.51

ग . वित्तीय संसाधन

भारत सरकार से बजटीय सहायता

1. वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नलिखित अनुसार है :

   - शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - रु0 55 करोड
   - आरआरटीएस अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान - रु0 2.64 करोड
   - वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय खर्चों को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से गैर योजना अनुदान - रु0 2.996 करोड।

आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधन

- आंतरिक संग्रहण यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैंकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज - रु0 334.49 करोड
- उधार लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान - रु0 567.89 करोड । ऋण की पूर्ण वसूली हुई है तथा राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऋण के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है ।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड ने रूपये 1.17 करोड़ की आयकर वापसी प्राप्त की है (इसमें रूप्ये 0.07 करोड़ की ब्याज की राशि भी सम्मिलित है जो वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित है) । जिसके लिए लेखों में प्रावधान किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार है :

(करोड रु0 में)

ब्यौरा	शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
योजना	55.00	637.05*
गैर योजना	2.996	4.346**
आरआरटीएस अध्ययन के लिए अनुदान	2.64	3.61#

* अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को बाजार से बहुपक्षीय व द्विपक्षीय संस्थानों जैसे एडीबी एवं केएफडब्ल्यू से ऋण लेकर, और बोर्ड के अपने आतंरिक संग्रहणों से पूरा किया गया ।

** इसमें एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए बोर्ड के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रूपये 89.31 लाख का प्रावधान भी शामिल है जिसे की बोर्ड के अतिरिक्त संग्रहण से पूरा किया गया है । अधिक व्यय (गैर योजना) को शामिल है जिसे बोर्ड के आंतरिक संग्रहणों से पूरा किया गया ।

\# आर आर टी एस स्टडी के लिए प्राप्त अनुदान से अधिक खर्चा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पिछले वित्त वर्ष में जारी की गई राशि से पुरा किया गया है ।

(iii) **संसाधन जुटाना**

(क) **घरेलू पूँजी बाजार**

- वर्ष 2012-13 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई रकम नहीं जुटाई है ।
- 31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड की कुल बकाया उधारी 1100 करोड रु0 है । इन बांडों की समयावधि 7साल के बाद पुट/काल विकल्प समेत 10 वर्ष है । ये बांड राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेज - डब्लयूडीएम घटक में भी सूचीबद्ध हैं और बांड इशू के लिए कार्पोरेशन बैंक को न्यासी नियुक्त किया गया है ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को क्रिसिल, आसीआरए और इंडिया रेटिंग (फिच) द्वारा दी गई 'एएए' रेटिंग (स्टेबल आउटलुक) जारी रही । यह उच्चतम पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स हैं जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है ।
- ब्याज के नाम पर देय सभी भुगतान निवेशकर्ताओं को समय पर कर दिए गए हैं । बोर्ड से इस विषय में कोई चूक नहीं हुई है ।

ख) **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण**

<u>एशियाई विकास बैंक से ऋण</u>

- एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मल्टी-ट्रेंच वित्त पोषण सुविधा के रुप में बोर्ड को 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है । इस ऋण में परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति का भी प्रावधान है ।एशियाई विकास बैंक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बीच 78 मिलियन अमेरिकी डालर की पहली खेप के लिए ऋण अनुबंध पर 17मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए । यह ऋण 29 जून, 2011 से प्रभावी होगा और इसका उपयोग दिसंबर, 2014 तक करना है । ऋण की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 25 वर्ष है । इस ऋण के लिए गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है ।
- उक्त ऋण एशियाई विकास बैंक के खरीद- दिशा निर्देशों और पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अध्यधीन राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, बोर्ड ने एडीबी से रूपये 99.64 करोड़ (18.09 मिलियन डालर) का ऋण प्रतिपूर्ति आधार पर लिया है ।

<u>जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण</u>

- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने जर्मन सरकार/केएफडब्लयू के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंध दिनांक 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए । केएफडब्लयू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष है । ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83 प्रतिशत सालाना है । इस ऋण के लिए गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, बोर्ड ने केफडब्ल्यू बैंक, जर्मनी से रूपये 108.45 करोड़ (यूरो 15.77 मिलियन) का ऋण लिया है ।

घ क्षमता निर्माण विकास संबंधी पहल प्रयास

- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखित प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत नियम पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है । ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजन रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा ।

ड. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग हैं । 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल प्राधिकृत और तैनात कार्मिक - संख्या निम्नलिखित अनुसार है -

श्रेणी	प्राधिकृत संख्या	तैनात संख्या
समूह 'क'	13	10
समूह 'ख'	6	5
समूह 'ग'	25	23
समूह 'घ'	7	7
कुल	51	45

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुरुप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./शारीरिक विकलांग/अल्पसंख्यक कर्मचारियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दे रहा है। निदेशक रैंक के एक अधिकारी को अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0व0 (विकलांगों समेत) कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रुप में नामित किया गया है ।

ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) को पार्ट टाइम मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित अनुसार ई-गवर्नेस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्त्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया गया है । इस वेबसाइट पर अधिनियमों,नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं संबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्त्ताओं वालों हेतु व्यापक दिशा निर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, ली जाने वाली ब्याज दरें और उपलब्ध छूट,

परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है । इस पर उधारकर्त्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है । वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन , भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है ।

iii) सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1)के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 3 जनसूचना अधिकारियों और 2 अपीली प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है । जन सूचना अधिकरियों और अपील प्राधिकारियों के ब्यौरे कार्यालय में दर्शाने के साथ-साथ बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए है । अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है और आवेदन प्राप्ति से लेकर आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तैयार की गई है । आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है । इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है । वर्ष 2012-13 में इस अधिनियम के तहत 126 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई । कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एंव वार्षिक ब्यौरा सीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा शहरी विकास मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है ।

iv) लेखों का परीक्षण

वर्ष 2012-13 के लिए बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के स्थान पर प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 14.10.2013 को परीक्षित तथा प्रमाणित किया गया । वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए गए तथा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए यथा राज्य सभा में दिनांक 7.3.2013 को तथा लोक सभा में दिनांक 13.3.2013 को ।

v) ई-प्राप्ति

प्राप्ति नीति प्रभाग, व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड इस प्रयास में है कि सभी निविदाएं पूछताछ सीपीपी पोर्टल पर बोर्ड की वेबसाइट द्वारा प्रदर्शित की जाएं ताकि सभी निविदा पूछताछ, संशोधन, दिए गए अनुबंध के ब्यौरे आदि सभी जानकारी स्वत:ही एनआईसी द्वारा बनाए गए XML सुविधा युक्त सीपीपी पोर्टल पर अपलोड हो जाए ।

5. संगठन ढाँचा

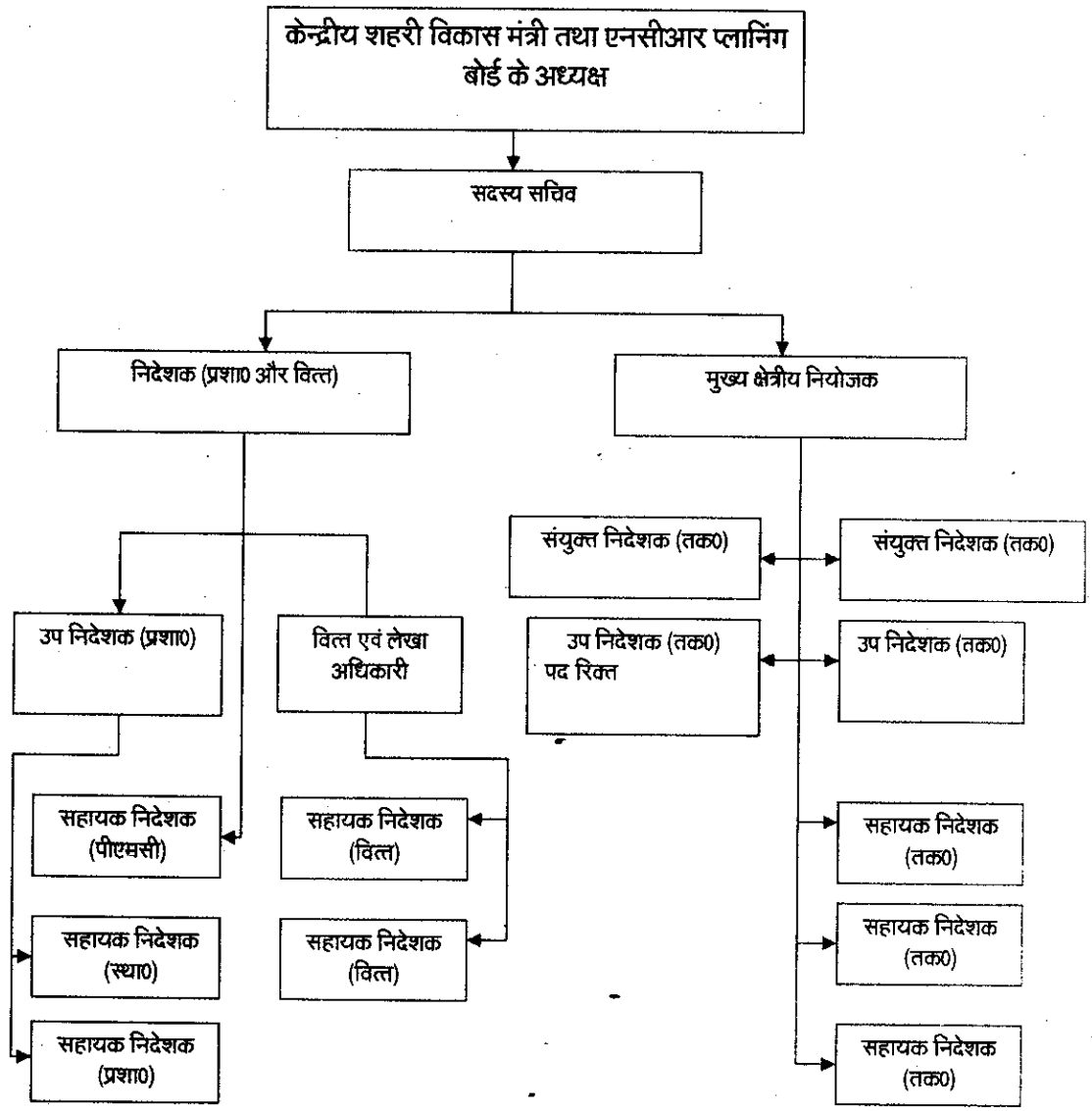
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री तथा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष
सदस्य सचिव
निदेशक (प्रशा0 और वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
संयुक्त निदेशक (तक0)
संयुक्त निदेशक (तक0)
उप निदेशक (प्रशा0)
वित्त एवं लेखा अधिकारी
उप निदेशक (तक0) पद रिक्त
उप निदेशक (तक0)
सहायक निदेशक (पीएमसी)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक (तक0)
सहायक निदेशक (स्था0)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक (तक0)
सहायक निदेशक (प्रशा0)
सहायक निदेशक (तक0)

3 संगठनात्मक ढाँचा

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में वरिष्ठ अधिकरी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्रीमती नैनी जयशीलन	सदस्य सचिव
2	श्री राजीव मल्होत्रा	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3	डॉ. कविता गोटरू	निदेशक (प्रशा0 और वित्त)
4	श्री जे एन बर्मन	संयुक्त निदेशक (तक0)
5	पद रिक्त	संयुक्त निदेशक (तक0)
6	श्री पी के जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी*
7	श्री डी के वर्मा	उप निदेशक (प्रशा0)
8	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (जी आईएस)
9	पद रिक्त	सहायक निदेशक (तक0)
10	श्री अकील अहमद	उप निदेशक (तक0)*
11	श्री अभिजीत सामंता	सहायक निदेशक (पीएमसी)
12	सुश्री नीलिमा माझी	सहायक निदेशक (तक0)
13	श्री रमेश देव	सहायक निदेशक (तक0)
14	पद रिक्त	सहायक निदेशक (वित्त)
15	श्री हर्ष कालिया	सहायक निदेशक (प्रशा0)
16	श्री एस.के.कटारिया	सहायक निदेशक (स्था0)
17	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)

* एनसीआरपीबी के मूल्यांकन तथा प्रोन्नति नियमों, 2006 के अंतर्गत पुन:पदनामित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की प्रमुख विशेषताएं :

अनुलग्नक-1

- दिल्ली के आर्थिक विकास की गति को खपाने, कारगर परिवहन नेटवर्क, भौतिक बुनियादी सुविधाओं के विकास, औचित्यपूर्ण भू-उपयोग पैटर्न, बेहतर पर्यावरण तथा जीवन स्तर के लिए चिह्नित प्रमुख बसावटों में आर्थिक आधार को बढावा देना।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के दोनों ओर न्यूनतम 500 मीटर चौडाई समेत प्रस्तावित राजमार्ग कॉरीडोर जोन।
- दिल्ली में हाइटेक उद्योगों को बढावा देना।
- दिल्ली में केवल स्थानीय जरुरतों को पूरा करने के लिए थोक बाजार।
- नए समुदायों, जिलों, सबसिटी केन्द्रों में नए कार्यालय स्थलों की स्थापना से बचना।
- दिल्ली से बाहर एनसीआर में औद्योगिक संपदाओं/विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
- वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए एनसीआर में समरुप कराधान तथा आर्थिक विकास को बढावा देना।
- पेरीफेरल एक्सप्रेस वे और प्रादेशिक तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के जरिए इस क्षेत्र में बेहतर समेकित संपर्क और पहुँच।
- एनसीआर में बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा का निर्बाध आवागमन।
- प्रस्तावित रेवाडी-भिवाडी और रोहतक-हॉसी के बीच रेल संपर्क।
- बिजली के क्षेत्र मे मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए और अधिक केन्द्रित नीतियां प्रस्तावित करना।
- गैर परम्परागत ऊर्जा ससाधनों को बढावा देना।
- इस क्षेत्र में जल संसाधनों संबंधी ब्लू प्रिंट तैयार करने के बाद समेकित क्षेत्रीय जलापूर्ति स्कीम तैयार करना।
- इस योजना में चिह्नित न्यूनतम 2-5 प्रतिशत भू-जल पुनर्भरण क्षेत्र का संरक्षण करना।
- गैर पेय जल कार्यों के लिए अपव्यय जल की रिसाइकिलिंग और पुनः उपयोग को बढावा देना।
- सभी कस्बों में क्रमिक आधार पर सीवरेज प्रणाली की शुरुआत करना।
- शुरु में तुलनात्मक रुप से छोटे कस्बों/ग्रामीण इलाकों में कम लागत वाली स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- न्यूनतम 50 प्रतिशत ठोस कचरे को रिसाइकल करना।
- ग्रामीण इलाकों में स्थानीय पंचायतों के जरिए ठोस कचरा प्रबंधन को कार्यान्वित करना।
- आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आवास को बढावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार के संगठनों और एनसीआर कस्बों के विकास प्राधिकरणों के बीच सक्रिय सहयोग से संयुक्त दृष्टिकोण।
- आवास उपलब्ध कराने के लिए सहकारी प्रयासों को बढावा देना।
- कार्य -सह आश्रय को बढावा देना।
- एनसीआर में पुलिस का आधुनिकीकरण।

- इस क्षेत्र में नियमित आधार पर आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए एक केन्द्रीय समन्वय एजेंसी/संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।
- भू-उपयोग योजना में राज्यों द्वारा धरोहर और पर्यटन स्थलों को चिह्नित करना।
- विकास नियंत्रण विनियमों के जरिए धरोहर स्थलों का संरक्षण करना।
- भूजल तथा भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सावधानीपूर्वक भू-उपयोग आबंटन।
- पर्यावरण की क्षमता के आधार पर भू-उपयोग की योजना बनाना।
- आपदा निवारण, तैयारी योजना और आपदा पश्चात प्रबंधन योजना उप क्षेत्रीय योजनाओं का समेकित हिस्सा हों।
- प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जोखिमों संबंधी सुरक्षा पहलुओं को लागू करने के लिए अधिनियमों और नियमों, भवन उप नियमों आदि में आवश्यक संशोधन किए जाने हैं।
- सेवा केन्द्रों और केन्द्रीय गांवों की पहचान उनकी विकास क्षमता तथा मूल गांवों के लिए केन्द्रीय कार्य निष्पादन की क्षमता के आधार पर की जाए तथा उनके विकास प्रस्तावों को उप क्षेत्र/जिला योजनाओं में शामिल किया जाए।
- मशरुम बेबीकार्न, मुर्गी मांस, मछली, फूलों की खेती आदि जैसी गैर परम्परागत फसलों कीखेती को बढावा देना।
- ग्रामीण इलाको में शहरी सुविधाओं का प्रावधान।
- क्षेत्रीय भू-उपयोग -- विकसित / नियंत्रित /विनियमित क्षेत्रों के बाहर 4 प्रमुख भू उपयोग जोन (1)विनियमित एरिया जोन (2)राजमार्ग कॉरीडोर जोन (3)प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण जोन और (4)कृषि क्षेत्र जोन तथा 3 उप जोनों (क)शहरीकरण योग्य क्षेत्र (ख) विकसित तथा नियंत्रित /विनियमित क्षेत्रों के अंदर समेत कृषि क्षेत्र और (ग) हरित प्रतिरोधक
- क्षेत्रीय योजना 2001 में चिह्नित मौजूदा काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों यानी (1)ग्वालियर(मध्य प्रदेश), (2) पटियाला (पंजाब), (3)हिसार(हरियाणा), (4)कोटा(राजस्थान)और (5) बरेली(उत्तर प्रदेश) में विकास कार्य को जारी रखना।
- काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों को (i)भौतिक तथा सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन (ii) क्षेत्रीय संपर्क के सुदृढीकरण और (iii) आर्थिक आधार के सुदृढीकरण के जरिए विकसित करना।

अनुलग्नक-।।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कस्बों और शहरों की सूची

क्रम सं.	उप क्षेत्र/जिला/शहर/कस्बा	श्रेणी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-उप क्षेत्र		
	दिल्ली	I
हरियाणा उप क्षेत्र		
	जिला -पानीपत	
1	पानीपत	I
2	समालखा	III
3	आसनखुर्द	V
	जिला -सोनीपत	
4	सोनीपत	I
5	गोहाणा	III
6	गनौर	III
7	खारखोडा	IV
	जिला रोहतक	
8	रोहतक	I
9	महाम	IV
10	कलानौर	IV
	जिला झज्झर	
11	बहादुरगढ	I
12	झज्झर	III
13	बेरी	IV
14	लडरावन	V
15	संखोल	V
	जिला रेवाडी	
16	रेवाडी	I
17	धारुहेडा	IV
18	बावल	IV
19	रेवाडी (देहात)	VI
	जिला गुडगॉव	
20	गुडगॉव	I

21	सोहना	III
22	फिरोजपुर जिरका	IV
23	टौरु	IV
24	हेलीमंडी	IV
25	पटौदी	IV
26	पुन्हाना	IV
27	नुह	IV
28	डुंडाहेडा	IV
29	फारुख नगर	V
	जिला फरीदाबाद (नए बने पलवल जिला समेत)	
30	फरीदाबाद	I
31	पलवल	I
32	होडल	III
33	हाथिन	IV
34	हसनपुर	V
35	तिलपत	V
राजस्थान उप क्षेत्र		
	जिला अलवर	
1	अलवर	I
2	भिवाडी	III
3	खैरथल	III
4	राजगढ	III
5	बेहरोड़	III
6	तिजारा	IV
7	खर्ली	IV
8	गोविंदगढ	IV
9	किशनगढ	V
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र		
	जिला मेरठ	
1	मेरठ	I
2	मवाना	II
3	सरधना	III
4	कित्तौर	III
5	हस्तिनापुर	III
6	सेवलखास	IV
7	लवार	IV
8	परीक्षितगढ	IV

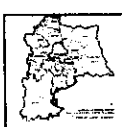

9	फलौदा	IV
10	कर्नावल	IV
11	खरखोडा	IV
12	दौराला	IV
13	बासुमा	IV
14	अमीनगर उर्फ भुरबरल	V
15	मोइनुददीनपुर	VI
	जिला बागपत	
16	बडौत	II
17	खेखडा	III
18	बागपत	III
19	छपरौली	IV
20	टिकरी	IV
21	दोघाट	IV
22	अग्रवाल मंडी	IV
23	अमीनगर सराय	IV
	जिला गाजियाबाद	
24	गाजियाबाद	I
25	हापुड	I
26	लोनी	I
27	मोदीनगर	I
28	बेहता-हाजीपुर	II
29	मुरादनगर	II
30	पिलखुआ	II
31	धरौती खुर्द	III
32	गढमुक्तेश्वर	III
33	डासना	III
34	फरीदनगर	IV
35	आर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर	IV
36	निवाडी	V
37	पताला	V
38	बाबूगढ	V
	जिला गौतमबुद्ध नगर	
39	नोएडा	I
40	दादरी	II
41	जेवर	III
42	रबूपुरा	IV

43	दनकौर	IV
44	सलारपुर खादर	IV
45	जहाँगीरपुर	V
46	बिलासपुर	V
47	काकोड	V
	जिला बुलंदशहर	
48	बुलंदशहर	I
49	खुर्जा	II
50	सिकंदराबाद	II
51	जहाँगीराबाद	II
52	गुलौथी	III
53	सिआना	III
54	डेबाई	III
55	शिकारपुर	III
56	अनूप शहर	III
57	नरौरा	III
58	औरंगाबाद	III
59	पहसू	IV
60	खानपुर	IV
61	बगरसी	IV
62	छतरई	IV
63	भवन बहादुर नगर	V
स्रोत :भारत की जनगणना 2001		

अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण सहायता प्राप्त निर्माणाधीन बुनियादी सुविधा की सूची (मार्च 2013)

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
	हरियाणा उप-क्षेत्र					
	Transport Sector project (30 nos.)					
1	Improvement of MAM NH 10 road by providing widening of carriageway, footpath and drainage from Km 70.100 to 79.200 in MC limit Rohtak	PWD (B&R), Haryana	Oct-07	32.08	24.06	19.50
2	Improvement by way of four laning of Rewari Kot Kasim Road upto NH-8, Shahjahanpur Rewari road upto 6 km., Rewari Narnaul Road (SH26), Rewari Mohindergarh Road, Rewari Dadri road upto proposed bypass	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	106.07	79.55	67.55
3	Improvement by way of four laning of Jhajjar Dhaur Beri road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	29.34	22.00	17.50
4	Improvement by way of four laning of Dighal Beri Jhazgarh road.	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	42.86	32.14	24.17
5	New construction of roads from Kaluka to NH-8, Sheoraj Majra to Sangwari, Barriawas to NH-8, Rojka to Asadpur, Bikaner to Gurukawas, Rewari Jhajjar road to Rewari Narnaul road via Rewari Dadri road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	41.4	31.05	25.80
6	Two lane ROB at Railway crossing no. 19-C on Subana Kosli Nahar Kanina road near Kosli Railway Station at Rewari Hisar Bhatinda Railway line km. 28 1/2 in Rewari District.	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	19.47	7.97	7.97
7	Proposed 2 lane ROB at level crossing no. 42 at Samalkha Chullana road at RD 1.00 km. in Panipat District	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	21.24	8.75	8.75
8	Improvement of roads from BKP road upto GA road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	53.58	40.26	32.01
9	Improvement of roads from Palwal Hathin road to Uttawar Sikrawa to Bhadas road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	60.02	45.01	27.76
10	Improvement of Hodal Punhana Nagina Road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	82.12	61.59	45.84

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम·	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
11	Project for improvement and construction of road in Jhajjar circle of NCR sub Region - Bahadurgarh Chhara Dujana Beri Kalanur road	PWD (B&R), Haryana	Nov-08	128.65	96.49	76.44
12	Improvement of Other District Roads (ODRs) in Jhajjar district in Haryana Sub region.	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	169.98	127.48	99.22
13	Improvement of 5 Roads in Gurgaon Distt.	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	90.36	67.77	32.05
14	Improvement of Other District Roads (ODRs) in Gurgaon district in Haryana Sub region.	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	31.57	23.68	22.99
15	Provision of Service lane and drains on Gurgaon-Nuh-Alwar Road (SH-13)	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	36.24	27.18	19.98
16	Improvement (Four Laning) of Rohtak Bhiwani Road in Haryana Sub region	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	81.74	61.31	57.91
17	Improvement (Four Laning) of Rohtak Hisar Road from Drain No. 8 to Bahujamalpur (km. 79.200 to km. 86.800) in Haryana Sub region.	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	31.95	23.96	23.96
18	Improvement and Widening of Five Roads in Sonepat Distt. in Haryana.	PWD (B&R), Haryana	Nov-09	125.54	94.15	36.32
19	Badli By-pass 0 to 5.68 (new construction alongwith strengthening of existing 2 km. stretch)	PWD (B&R), Haryana.	May-10	62.92	39.45	33.81
20	Construction of 2 lane ROB at Panipat Jatal road on Delhi Ambala railway line at L/C No. 52-C in Panipat District	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	31.85	13.26	6.63
21	Construction of 2 lane ROB at Hodal Hassanpur road on Delhi Palwal Mathura Railway line at L/C No. 553	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	24.10	13.76	6.88
22	Two lane ROB at Sonepat Purkhas road near sugar mill on Delhi Ambala Railway line L/C No. 29	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	40.37	16.42	8.21
23	Construction of By-pass at Beri, in Jhajjar District of Haryana	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	48.82	36.62	0.00
24	Construction of By-pass at Chhara, in Jhajjar District of Haryana	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	47.16	35.37	0.00

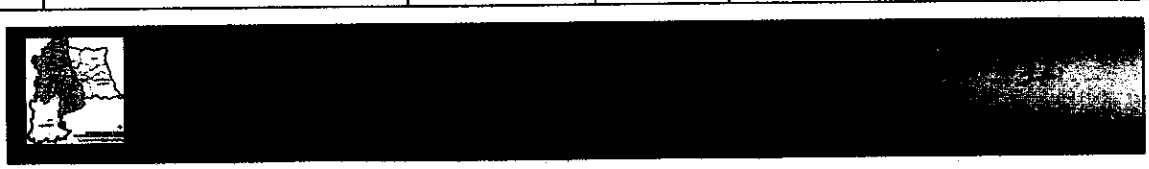

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
25	Construction of By-pass at Subana, in Jhajjar District of Haryana	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	25.18	18.89	0.00
26	Construction of By-Pass at Kosli, Haryana	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	27.68	20.76	0.00
27	Widening & Strengthening of Gohana Lakhanmajra Bhiwani road upto district Rohtak boundary road from km. 0.000 to 37.700	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	99.77	74.83	0.00
28	Widening & Strengthening of UP border Sonepat Gohana upto district Sonepat boundary road from km. 11.600 to 74.000	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	176.26	132.20	0.00
29	Widening & upgradation of Gurgaon-Chandu-Badli-Bahadurgarh Road	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	244.10	183.08	0.00
30	Widening & Strengthening of Bahadurgarh Jhajjar Road in Jhajjar district of Haryana	PWD (B&R), Haryana	Dec-12	156.52	117.39	70.44
				2168.94	**1576.43**	**771.69**
	Sewerage Sector Projects (18 nos.)					
31	Revamping of Sewerage System and Sewage Treatment Works in Faridabad, Haryana	Municipal Corporation of Faridabad (MCF)	Feb-07	103.83	23.36	23.36
32	Development of Sewerage System and Construction of two STPs at Rohtak town.	PHED, Haryana	Feb-06	44.25	33.20	33.20
33	Providing sewerage system and STP for Samalkha Town, Haryana	PHED, Haryana	Feb-06	8.10	6.08	5.68
34	Extension of sewerage system and treatment of sewage in Bahdurgarh, Distt. Jhajjar	PHED, Haryana	Oct-07	17.21	12.91	9.76
35	Extension of sewerage system and treatment of sewage in Bawal, Distt. Rewari	PHED, Haryana	Oct-07	6.29	4.71	3.77
36	Providing sewerage facilities in village kosli, Bhakli and Railway station area of Kosli, Distt. Rewari	PHED, Haryana	Oct-07	8.70	6.53	5.22
37	Extension of sewerage system and treatment of sewage in Ganaur, Distt. Sonepat	PHED, Haryana	Feb-08	15.08	11.31	11.31
38	Providing sewerage scheme & Treatment Plant for Kharkhoda Town, Distt. Sonepat	PHED, Haryana	Feb-08	6.50	4.88	4.00
39	Providing sewerage scheme and Treatment Plant for Gohana	PHED, Haryana	Jun-09	16.00	9.18	5.97

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
	Town District Sonepat					
40	Providing sewerage scheme for various colonies in Sonepat Town	PHED, Haryana	Jun-09	8.29	6.22	6.22
41	Providing sewerage scheme and treatment plant for Pataudi & Haily Mandi Town (Phase-1), Gurgaon District	PHED, Haryana	Aug-11	14.50	10.87	3.26
42	Providing sewerage scheme for Punhana Town in Mewat Distt.	PHED, Haryana	Aug-11	12.50	9.37	2.81
43	Providing sewerage scheme and treatment plant for Nuh Town, Mewat District	PHED, Haryana	Aug-11	10.27	7.71	5.01
44	Providing sewerage scheme and treatment plant for Hathin Town, Palwal District	PHED, Haryana	Aug-11	12.3	9.23	2.77
45	Infrastructure Development Works (Drainage) in Old Faridabad Zone, Faridabad	MCF	Jun-09	30.65	6.90	6.90
46	Integrated Solid Waste Management Project, Faridabad	MCF	Jun-09	76.50	17.20	17.20
47	Providing Sewerage Scheme and Treatment Plant for Farrukh Nagar Town, Gurgaon District.	PHED, Haryana	Nov-11	11.48	8.61	0.00
48	Construction of Storm Water Drain in Sonepat Town, Haryana	PHED, Haryana	Dec-12	21.72	16.29	0.00
				424.16	**204.53**	**146.43**
	Water Sector Projects (13 nos.)					
49	Providing Master Water Supply Scheme of distribution main Zone-3 (Ph-III) Urban Estate, Gurgaon	Haryana Urban Development Authority	Sep-02	23.80	17.85	1.50
50	Augmentation of rural drinking water supply for Mewat region-Phase- I, Haryana	PHED, Haryana	Nov 04 rev in Nov 09	300.49	225.36	217.58
51	IInd water works newly developed area in western side of Rewari town, Distt. Rewari	PHED, Haryana	Oct-07	16.65	12.49	9.99
52	Augmentation and Extension of Water Supply in Ganaur, Distt. Sonepat	PHED, Haryana	Oct-07	27.74	20.80	20.80
53	Augmentation and Extension of Water Supply in Kharkhoda town, Distt. Sonepat	PHED, Haryana	Oct-07	13.91	10.43	7.50
54	Augmentation of water supply in Gohana Town	PHED, Haryana	Nov-08	42.45	25.84	23.63
55	Water Supply at Sohna Town & Rojka Meo Industrial Area, Sohna	PHED, Haryana	Nov-08	65.34	24.50	24.50

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
56	Water Supply System in Panipat (ADB Funded)	PHED, Haryana	Aug-11	230.84	173.13	0.00
57	Water Supply scheme for Nalhar Medical College and Nuh Town	PHED, Haryana	Aug-11	105.61	79.21	0.00
58	Providing Water Supply Scheme for Samalkha town Distt. Panipat.	PHED, Haryana	Aug-11	11.94	8.96	2.69
59	Providing distribution pipeline in various approved colonies of Sonepat town in District Sonepat	PHED, Haryana	Nov-09	8.51	6.38	5.25
60	Augmentation of Water Supply for Pataudi and adjoining town of Haily Mandi along with surrounding seven villages.	PHED, Haryana	Nov-11	75.10	56.32	0.00
61	Augmentation of Water Supply for Farrukh Nagar Town & Five Villages, Gurgaon District.	PHED, Haryana	Nov-11	28.78	21.58	0.00
				951.15	**682.86**	**313.44**
	Land Development Sector Projects (4 nos.)					
62	Development of Industrial Zone Sector 34-35, Gurgaon, Haryana	Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation	Sep-05	366.65	86.00	86.00
63	Development of Sector-44/47 (Resdl.) at Faridabad	Haryana Urban Development Authority	Mar-01	56.37	42.28	33.53
64	Urban Renewal Project at Dabua Colony, Faridabad	Municipal Corporation of Faridabad (MCF)	Feb-07	38.96	9.02	9.02
65	Urban Renewal Project at Bapu Nagar, Faridabad	Municipal Corporation of Faridabad (MCF)	Feb-07	25.27	5.85	2.93
				487.25	**143.15**	**131.48**
	Power Sector Projects (5 nos.)					
66	Loss Minimization and Strengthening of Distribution system being fed from 132 KV substation Khokhrakot Rohtak, Kalanaur and Sampla under SE 'OP' Circle, UHBVNL, Rohtak by proposing 6 no. 33KV sub stations	Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam	Feb-08	12.53	9.40	9.40
67	Scheme to set up five(5) sub stations with capacity of 33 KV at Bal Bhawan (Rohtak), Kharawar, Sampla Road	Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam	Feb-08	10.2	7.65	7.65

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
	(Jhajjar) and Dubaldhan					
68	Project for creating power infrastructure in Haryana Sub region of NCR	Haryana Vidyut Prasaran Nigam	Jul-07	117.45	82.01	82.01
69	Scheme for strengthening power infrastructure in NCR area of Haryana – Augmentation of Transmission Works,	Haryana Vidyut Prasaran Nigam	Nov-08	79.43	59.58	59.58
70	Scheme for HVDS/LVDS & Reallocation of meters under DHBVN in NCR area	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam	Nov-08	138.47	103.85	103.85
				358.08	**262.49**	**262.49**
	Social Sector (4 nos.)					
71	Construction of 200 bedded hospital in Sector-10, Gurgaon (Phase-I)	Haryana Urban Development Authority	Oct-03	12.08	9.06	1.50
72	Construction of Medical College with Teaching Hospital at District Mewat, Haryana	Health Deptt., Haryana	Jun-09	318.91	239.18	227.54
73	Establishment of Polytechnic at Sampla, Rohtak District, Haryana	DTE Technical Education, GoH	Jun-09	22.00	13.22	13.22
74	Establishment of Technical Institutions at Rohtak	DTE Technical Education, GoH	May-10	197.00	67.50	50.00
				549.99	**328.96**	**292.26**
	Haryana Sub Total (74 nos.)			**4939.57**	**3198.42**	**1917.79**
	Uttar Pradesh Sub Region					
	Land Development Sector (2 nos.)					
75	Ganga Nagar residential scheme, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	Nov-04 / May-10	69.14	48.09	35.09
76	Anand Vihar Housing Scheme at Hapur	Hapur Pilakhua Development Authority	Oct-07	178.40	133.80	50.00
				247.54	**181.89**	**85.09**
	Transport Sector project (1 nos.)					
77	Transport Nagar Scheme, Bulandshahr, UP	Bulandshahr Khurja Development Authority	Nov-04	33.71	20.65	17.79
				33.71	**20.65**	**17.79**
	UP Sub Total (3 nos.)			**281.25**	**202.54**	**102.88**
	Rajasthan Sub Region (2 nos.)					
	Power Sector (2 nos.)					

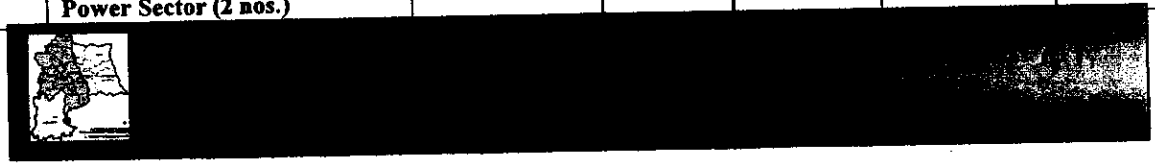

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
78	Scheme for creation of 29 nos. 33/11 KV Sub Station in Alwar Circle, Rajasthan Sub Region	JVVNL	Jun-09	39.42	29.56	28.91
79	EHV Transmission Schemes in NCR area of Rajasthan i.e. Alwar Distt. (including 6 Nos. of schemes)	RRVPNL	May-10	125.98	88.18	88.18
				165.40	**117.74**	**117.09**
	Transport (1 nos.)					
80	Solar Bus Shelters with Solar Lantern Recharging Stations in Alwar District	UIT Alwar	Dec-12	7.22	5.00	**0.00**
				7.22	**5.00**	**0.00**
	Total (Rajasthan)			**172.62**	**122.74**	**117.09**
	Delhi Sub Region (2 nos.)					
	Transport Sector project (2 nos.)					
81	Redevelopment of ISBT as Multi Modal Transit Centre at Anand Vihar, New Delhi	Transport Deptt. GNCT Delhi	Nov-09	196.28	147.21	**0.00**
82	Redevelopment of ISBT as Multi Modal Transit Centre at Sarai Kale Khan, New Delhi	Transport Deptt. GNCT Delhi	Nov-09	202.17	151.63	0.00
				398.45	**298.84**	**0.00**
	Total (Delhi)			**398.45**	**298.84**	**0.00**
	Counter Magnet Areas					
	Projects in Punjab - CMA Town Patiala					
	Sewer Sector in Patiala (1 No.)					
83	Extension & Augmentation of Water Supply, Sewerage & Solid Waste Mgmt, Patiala	Patiala Urban Development Authority	Sep-02	59.93	44.95	44.95
	Total Sewer Sector in Patiala (1 No.)			59.93	44.95	44.95
	Total Projects in Punjab - CMA Town Patiala (1 no.)			**59.93**	**44.95**	**44.95**
	Projects in UP CMA Town Bareilly					
	Land Development Sector in Bareilly (1 no.)					
84	Ram Ganga Nagar residential scheme in Bareilly	Bareilly Dev. Authority	Dec-04	99.37	37.00	37.00
	Projects in UP CMA Town Bareilly (1 no.)			**99.37**	**37.00**	**37.00**
	Projects in Haryana- CMA Town Hisar					
	Power Sector in Hisar (2 nos.)					

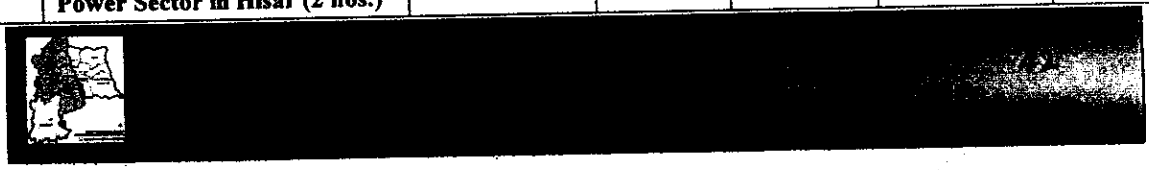

रु. करोड़ में

क्रम स.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृति ऋण	जारी वास्तविक राशि
85	Setting up of a coal based Thermal Power Project under stage I for 1200 MW (2 x 600 MW) in Hisar District, Haryana	Haryana Power Generation Corporation Ltd.	Feb-07	4258.65	500.00	500.00
86	Improvement & Up gradation of Sub transmission of distribution network in Hisar	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam	Nov-08	40.01	30.01	16.50
	Total Projects in Haryana-CMA Town Hisar (2 nos.)			**4298.66**	**530.01**	**516.50**
	Projects in Rajasthan- CMA Town Kota					
	Water Sector in Kota (1 no.)					
87	Augmentation of Water Supply in Kota, Rajasthan	UIT Kota	Aug-11	181.77	136.33	108.45
	Total Water Sector in Kota (1 no.)			181.77	136.33	108.45
	Total Projects in Rajasthan-CMA Town Kota (1 no.)			***181.77***	***136.33***	***108.45***
	Projects in Madhya Pradesh - CMA Town SADA Gwalior					
	Land Development Projects (1 no.)					
88	Infrastructure Development of Residential Schemes in SADA, Gwalior	SADA, Gwalior	Nov-09	76.07	42.05	31.54
	Sewerage (1 no.)			**76.07**	**42.05**	**31.54**
89	Providing Sewerage Scheme and Treatment Plant for SADA Gwalior.	SADA, Gwalior	Nov-11	28.38	21.28	0.00
				28.38	**21.28**	**0.00**
	Total Projects in CMA Town Gwalior (2 nos.)			**104.45**	**63.33**	**31.54**
	Counter Magnet Areas-Total (7 nos.)			**4744.18**	**811.62**	**738.44**
	TOTAL			**10536.07**	**4634.16**	**2876.20**